



BITT POLYTECHNIC
Getlatu, Ranchi- 835217

BITT-P/NOTICE/2023-24/ 10879

Date: 20.12.23

**वित्तीय वर्ष 2023-२४ में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्यनरत छात्र-
छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति से सम्बंधित अति आवश्यक सूचना**

आदिवासी कल्याण आयुक्त के कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय द्वारा प्रेषित सूचना अनुसार, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं पिछड़ी जाति के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-२४ में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्यनरत छात्र छात्रों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

छात्रों की सुविधा के लिए,

छात्रवृत्ति प्राप्त करने की योग्यता, प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी नीचे संलग्न की गयी है।

किसी भी तरह की असुविधा होने पर संस्थान के छात्रवृत्ति विभाग में संपर्क करें।

कार्यालय आदेश

झारखण्ड सरकार
आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण
कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, राँची

प्रदेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं
के लिए छात्रवृत्ति योजना वर्ष-2023-24 हेतु आवेदन से सम्बंधित आवश्यक सूचना

द्वारा जारी निर्देश के अन्तर्गत पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वित्तीय वर्ष-2023-24 में प्रदेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से आवेदन पर आमंत्रित किये जाते हैं।

1. छात्रवृत्ति के लिए आग की उम्रसीमा :-
 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राएँ, जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी श्रेणियों से वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं हो। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।

2. आवेदन करने की प्रक्रिया :-
 अर्हता प्राप्त छात्रों को वेबसाइट <https://ekalyan.cgg.gov.in> में दिये गये सभी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना है एवं सभी निम्नांकित दस्तावेजों की Scanned Copy (jpeg/jpg में 1mb तक) वेबसाइट पर अपलोड करने :-

- (i) औनलाइन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र (Income Certificate) (असलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा स्थायी स्तर से निर्गत) की मूल प्रती। (दिनांक-01.08.2023 अथवा उस तिथि के बाद से निर्गत आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा।)
- (ii) औनलाइन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (Caste Certificate) (असलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा स्थायी स्तर से निर्गत) की मूल प्रती।
- (iii) औनलाइन के माध्यम से निर्गत आवास प्रमाण-पत्र (Residential Certificate) (असलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा स्थायी स्तर से निर्गत) की मूल प्रती।
- (iv) संस्थान के लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत Bonafide Certificate (with Fee Structure निर्गत संस्था एवं दिनांक के साथ) की मूल प्रती। (एक पृष्ठ में)
- (v) पूर्व की परीक्षा के अंकपत्र (Mark Sheet of previous exam) की अतिप्रमाणित प्रती।
- (vi) छात्रवृत्ति की धनराशि PFMS के माध्यम से Aadhar Enabled DBT के द्वारा सुयोग्य छात्र-छात्राओं के खाते में अंतरित की जाएगी। (संकेत खाता की आधार सत्यापन से सौकरिया होना अनिवार्य है।)

3. औनलाइन आवेदन की समय सीमा :-

क्र.सं.	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि	कार्यवाही के लिए निर्धारित अंतिम तिथि
1.	संस्थान/संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर एकीकरण हेतु आवेदन की तिथि-	20.12.2023	10.01.2024
2.	शैक्षणिक वर्ष-2023-24 हेतु छात्र/छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की तिथि	11.01.2024	20.02.2024
3.	संबन्धित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि।	12.01.2024	29.02.2024

4. कॉलेज/संस्थान का नियंत्रण :-

- (I) केवल AISHE कोड/U-Dise वाले शैक्षणिक संस्थान/कोलेज पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगे।
- (II) आर्किटेक्चर एवं नर्सिंग संस्थानों के लिए AISHE कोड/U-Dise अनिवार्य नहीं है। परन्तु उन संस्थानों को NCVT/SCVT/Indian Nursing Council/Jharkhand Nurses Registration Council से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा।
- (III) ऐसे कॉलेज/संस्थान जो पूर्व से ई-कल्याण पोर्टल पर लिखित हैं :-
 • निजी कॉलेज/शैक्षणिक संस्थान- College affiliation Certificate, Course Fee, Course Registration Certificate तथा संस्थान के Letter Pad पर नोडल पदाधिकारी की विवरणी (ई-मेल तथा मोबाइल नं. सहित) (ई-कल्याण पर उपलब्ध प्रपत्र के अनुसार) upload करना अनिवार्य है।
 • सरकारी कॉलेज/शैक्षणिक संस्थान- Course Fee, तथा संस्थान के Letter Pad पर नोडल पदाधिकारी की विवरणी (ई-मेल तथा मोबाइल नं. सहित) (ई-कल्याण पर उपलब्ध प्रपत्र के अनुसार) upload करना अनिवार्य है।
 (IV) ऐसे कॉलेज/संस्थान जो पूर्व से ई-कल्याण पोर्टल पर लिखित नहीं हैं :- Collogeo affiliation Certificate, College Registration Certificate, Course Fee, Course Registration Certificate, College/Hostel Geo Tag with Co-ordinate तथा संस्थान के Letter Pad पर नोडल पदाधिकारी की विवरणी (ई-मेल तथा मोबाइल नं. सहित) (ई-कल्याण पर उपलब्ध प्रपत्र के अनुसार) दिनांक-10.01.2024 तक upload करना अनिवार्य है। जिन कॉलेज/संस्थानों को NAAC/NBA से प्रमाण-पत्र प्राप्त है, वे कॉलेज/संस्थान NAAC/NBA से प्राप्त प्रमाण-पत्र भी पोर्टल पर upload करेंगे।

5. कॉलेज/संस्थान का दायित्व :-

- (I) संस्थान अपना पूर्ण विवरण सुनिश्चित मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे।
 नोट- राज्य के अन्दर स्थित संस्थानों को संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा User Id एवं Password उपलब्ध कराया जाएगा तथा राज्य के बाहर के संस्थानों को उनके ई-मेल आईडी पर System Generated User Id एवं Password उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर स्थित महाविद्यालय/संस्थान Course Mapping करना हुए Fee Detail की Update करना जो Student application form में दिखाई देगा, तभी Student Online आवेदन कर सकते हैं।
- (II) संस्थान अपने Letter Pad में वर्ष-2023-24 में अध्ययनरत छात्र/छात्रा की छात्रवृत्ति हेतु Bonafide Certificate निर्गत करेंगे, जिसमें निर्गत संस्था एवं दिनांक अंकित होगा।
- (III) संस्थान प्रदान अपने महाविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के द्वारा भरे गए Online आवेदन को <https://ekalyan.cgg.gov.in> के वेबसाइट पर अपने User Id एवं Password के माध्यम से login कर Online सत्यापित करेंगे। राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर स्थित महाविद्यालय/संस्थान सत्यापन से पूर्ण Fee Detail की Update करेंगे।
- (IV) लिखित संस्थान, यदि अपने User Id एवं Password भूल गए हैं तो पोर्टल पर दिए गए लिंक से पुनः User Id एवं Password Recover कर सकते हैं।

6. हेल्प लाइन :-
 विषय आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई हो तो ई-कल्याण के सम्पर्क संख्या-1800-599-1289 एवं Whatsapp No -1440256299 (Not for Call) पर सम्पर्क कर सकते हैं, तथा e-mail id-helpdesk@ekalyan.cgg.gov.in पर e-mail कर सकते हैं। साथ ही <https://ekalyan.cgg.gov.in> वेबसाइट के Complaint link पर ऑनलाइन रिवायत दर्ज कर सकते हैं।

7. नोट :-
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में सम्बन्धित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से निर्गत दिश-निर्देश एवं अन्य अनुसूची सूचना वेबसाइट <https://ekalyan.cgg.gov.in> पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व कृपया उक्त वेबसाइट पर दिए गए निर्देश का अध्ययन देना होगा।
 - उपर्युक्त डाटा दर्शनी की सीमा के अन्तर्गत प्रदेशिकोत्तर छात्रवृत्ति स्वीकृति हो सकती है।
 - निरिक्त समय सीमा की समाप्ति की परवाह न की जायेगी। आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
 - छात्र/छात्रा की अपना अन्तर सत्यापन देना अनिवार्य होगा।
 - एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
 - ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि/अशुद्धि/गलत अथवा बाधक सूचना देने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।